भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1648

उत्तर देने की तारीख- 31/07/2023

जनजातीय विश्वविद्यालय

†1648. श्री मनोज तिवारी :
श्री रविन्दर कुशवाह :
श्री बी.बी. पाटील:
श्री महाबली सिंह:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रवि किशन:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के जनजातीय विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश की वर्तमान क्षमता राज्य की जनजातीय आबादी के लिए पर्याप्त है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी स्थापना की जाती है। फिलहाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल समेत किसी भी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के

संबंध में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, में अन्य बातों के साथ-साथ, आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक जनजातीय विश्वविद्यालय और तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, **2019** के अधिनियमन और दिनांक **05.08.2019** को भारत के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद की गई है।

(घ) से (ड.): आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (सीटीयूएपी) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त संस्थान है, जिसका क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र पूरे आंध्र प्रदेश राज्य पर है। सीटीयूएपी की वर्तमान प्रवेश क्षमता 340 छात्रों की है। आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (सीटीयूएपी) छात्रों के प्रवेश के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2012 में संशोधित) का पालन करता है। आंध्र प्रदेश राज्य की जनजातीय आबादी के संदर्भ में छात्र प्रवेश क्षमता की पर्याप्तता के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

*****